

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIAएस.जी.-डी.एल.-अ.-01092025-265852
SG-DL-E-01092025-265852असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 258]
No. 258]दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 29, 2025/भाद्र 7, 1947
DELHI, FRIDAY, AUGUST 29, 2025/BHADRA 7, 1947[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 203
[N. C. T. D. No. 203भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वन एवं वन्यजीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 29 अगस्त, 2025

फा. सं. 107/डब्ल्यूएफडी/सीओटी/2024-25/7376—जबकि, डीपीटीए ई-फोरेस्ट पोर्टल पर वृक्ष अधिकारी (पश्चिमी वन प्रभाग) को श्री मुकेश कुमार, आर्मी हॉस्पिटल (आर एंड आर) धौला कुआं एन्क्लेव-I, धौला कुआं, नई दिल्ली से एक आवेदन आईडी संख्या 15803 प्राप्त हुआ था, जिसमें दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) (तत्पश्चात् डीपीटीए, 1994 के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत आर्मी हॉस्पिटल (आर एंड आर) दिल्ली कैंट में कैंसर विज्ञान सेंटर भवन (200 बिस्तरों वाला) के निर्माण हेतु 5.60 हेक्टेयर क्षेत्र में 174 (मूल रूप से 321) वृक्षों के प्रत्यारोपण/कटाई हेतु अनुमति मांगी गई थी।

और जबकि, वृक्ष अधिकारी (पश्चिमी वन प्रभाग) ने आवेदन पर समुचित विचारण के पश्चात्, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 9 की उप-धारा (3) में वृक्ष अधिकारी (पश्चिमी वन प्रभाग) द्वारा वृक्ष काटने/प्रत्यारोपण के आवेदन पर विचार करने हेतु अधिकतम एक हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा को ध्यान में रखते हुए,

दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 9 की उप-धारा (3) की अनुप्रयोज्यता से दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 धारा 29 के अंतर्गत 5.60 हेक्टेयर क्षेत्र (अनुलग्नक-क में विवरणानुसार) के संबंध में छूट मांगी है।

इसलिए, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा जनहित में, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम (डीपीटीए), 1994 के अंतर्गत आर्मी हॉस्पिटल (आर एंड आर) दिल्ली कैंट में कैंसर विज्ञान सेंटर भवन (200 बिस्तरों वाला) के निर्माण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अधिकतम एक हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा से 5.60 हेक्टेयर क्षेत्र (अनुलग्नक-क में विवरणानुसार) को निम्नलिखित शर्तों के साथ छूट प्रदान करते हैं :

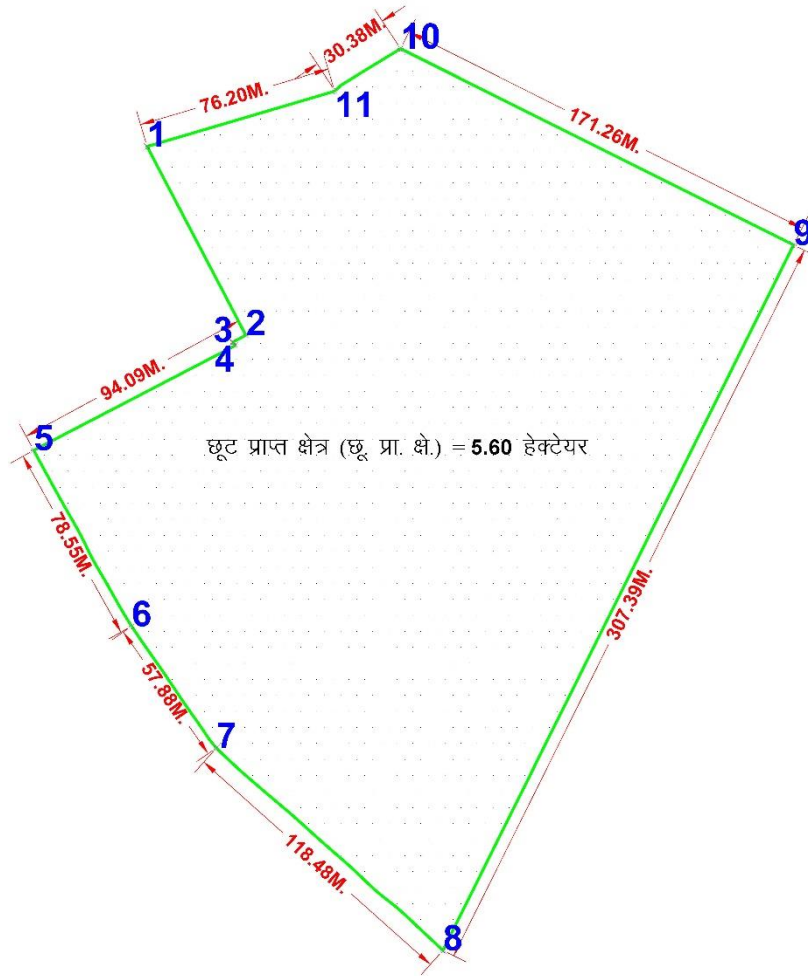
- 1) यह अधिसूचना दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 के अंतर्गत केवल 5.60 हेक्टेयर क्षेत्र (अनुलग्नक-क में विवरणानुसार) को दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम (डीपीटीए), 1994 के अंतर्गत आर्मी हॉस्पिटल (आर एंड आर) दिल्ली कैंट में कैंसर विज्ञान सेंटर भवन (200 बिस्तरों वाला) के निर्माण हेतु दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 9 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अधिकतम एक हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा से छूट देने हेतु जारी की जा रही है। जैसा कि वृक्ष अधिकारी (पश्चिम वन प्रभाग) द्वारा मांग की गई है।
- 2) दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 के अंतर्गत छूट हेतु यह अधिसूचना, किसी भी स्थिति में, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत वृक्षों के काटने/प्रत्यारोपण की अनुमति के रूप में नहीं मानी जाएगी।
- 3) वृक्षों के प्रत्यारोपण/काटने हेतु आवेदन पर वृक्ष अधिकारी (पश्चिमी वन प्रभाग) द्वारा दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण नियमावली, 1996 के प्रावधानों, संबंधित दिशा-निर्देशों, इस संबंध में जारी निर्देशों तथा समस्त संबंधित न्यायालय आदेशों के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से तथा पृथक रूप से विचार किया जाएगा और जांच की जाएगी, जिसमें छूट प्राप्त क्षेत्र के भीतर प्रत्यारोपित/काटे जाने वाले प्रभावित वृक्षों की संख्या को न्यूनतम करने हेतु आवेदन को ध्यान में रखा जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

संदीप कुमार, प्रधान सचिव (पर्यावरण एवं वन)

अनुलग्नक- क

आर्मी हॉस्पिटल (आर एंड आर) दिल्ली कैट में कैंसर विज्ञान सेंटर भवन (200 बिस्तरों वाला) के निर्माण हेतु दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 9 (3) के अंतर्गत अधिकतम 1 हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा के प्रावधान से धारा 29 के अंतर्गत छूट प्राप्त क्षेत्र की सीमा का विवरण।



संकेतिका :-

परियोजना क्षेत्र (छूट प्राप्त)	
निर्देशांक	000
बिंदु	
परिमाण	00.00m.

आर्मी हॉस्पिटल (आर एंड आर) दिल्ली कैंट में कैंसर विज्ञान सेंटर भवन (200 बिस्तरों वाला) के निर्माण हेतु दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 9 (3) के अंतर्गत अधिकतम 1 हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा के प्रावधान से धारा 29 के अंतर्गत छूट प्राप्त क्षेत्र की सीमा का विवरण।

क्र० सं०	उत्तर दिशा की ओर	पूर्व दिशा की ओर	अक्षांश	देशान्तर
1	3164176.751	711118.2849	28° 35' 17.1764" उ०	77° 09' 30.0136" पू०
2	3164198.357	711191.361	28° 35' 15.2543" उ०	77° 09' 34.1785" पू०
3	3164214.914	711217.078	28° 35' 15.7769" उ०	77° 09' 35.1356" पू०
4	3164138.309	711370.255	28° 35' 13.1995" उ०	77° 09' 40.7200" पू०
5	3164103.146	711156.762	28° 35' 12.1828" उ०	77° 09' 32.8424" पू०
6	3164100.439	711151.774	28° 35' 12.0978" उ०	77° 09' 32.6571" पू०
7	3164098.958	711152.39	28° 35' 12.0494" उ०	77° 09' 32.6788" पू०
8	3164058.17	711074.118	28° 35' 10.7708" उ०	77° 09' 29.7721" पू०
9	3163989.515	711112.278	28° 35' 08.5190" उ०	77° 09' 31.1305" पू०
10	3163941.995	711145.317	28° 35' 06.9566" उ०	77° 09' 32.3144" पू०
11	3163862.969	711233.594	28° 35' 04.3387" उ०	77° 09' 35.5095" पू०

उपभोगी संस्था द्वारा आवेदन में प्रस्तुत केएमएल फाइल से डब्ल्यूजीएस-84, यूटीएम-43 का उपयोग करके निर्देशांक पुनः प्राप्त किए गए हैं।

*छूट प्राप्त क्षेत्र = 5.60 हेक्टेयर

DEPARTMENT OF FORESTS AND WILDLIFE**NOTIFICATION**

Delhi, the 29th August, 2025

F.No. 107/WFD/COT/2023-24/7376— WHEREAS, an application ID no. 15803 on DPTA e-Forest portal was received by the Tree Officer (West Forest Division) from Sh. Mukesh Kumar, Army Hospital (R&R) Dhaula Kuan Enclave-I, Dhaula Kuan, New Delhi, for seeking permission under the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994) (hereinafter referred to as **DPTA, 1994**) for transplantation / Felling of 174 (originally 321) number of trees for Construction of Oncology Centre Building (200 Bedded) at Army Hospital (R&R) Delhi Cantt. New Delhi, under Delhi Preservation of Trees Act (DPTA), 1994 in an area of 5.60 hectare.

AND WHEREAS, the Tree Officer (West Forest Division) after due application of mind, has sought exemption in respect of 5.60 hectare area (as per details in Annexure - A) under Section 29 of the DPTA, 1994 from applicability of Section 9 sub-section (3) of the DPTA, 1994, in view of limitation of maximum one hectare area for considering application of tree transplantation / felling by the Tree Officer (West Forest Division) in Section 9 sub-section (3) of the DPTA, 1994.

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 29 of the DPTA, 1994, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby, in public interest, exempts an area of 5.60 hectare (as per details in Annexure - A), from the limitation of maximum one hectare area under sub-section (3) of Section 9 of the said Act for Construction of Oncology Centre Building (200 Bedded) at Army Hospital (R&R) Delhi Cantt. New Delhi, under Delhi Preservation of Trees Act (DPTA), 1994 with the following conditions:-

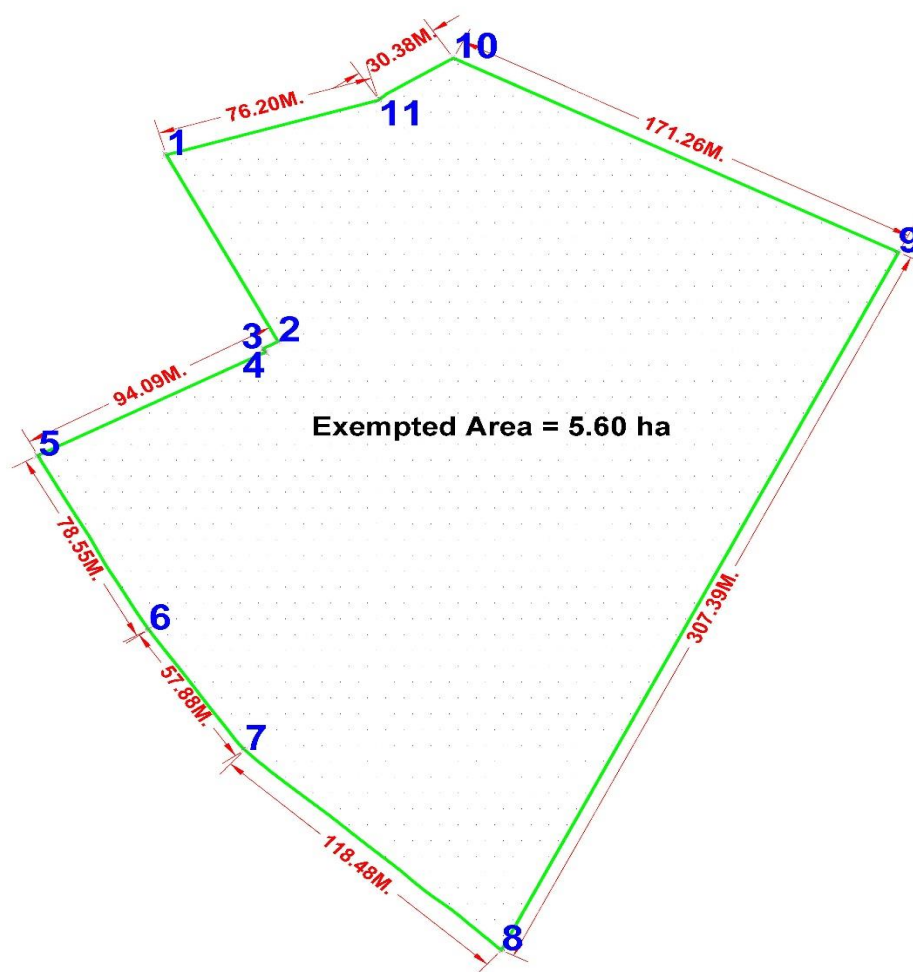
- 1) This notification is being issued under Section 29 of the DPTA, 1994 only to exempt the 5.60 hectare area (as per details in Annexure - A) from the limitation of maximum one hectare area under sub-section (3) of Section 9 of the DPTA, 1994 for Construction of Oncology Centre Building (200 Bedded) at Army Hospital (R&R) Delhi Cantt. New Delhi, under Delhi Preservation of Trees Act (DPTA), 1994 as sought by the Tree Officer (West Forest Division).
- 2) This notification for exemption under Section 29 of the DPTA, 1994, in any case, shall not be considered as permission for transplantation / felling of trees under the DPTA, 1994.
- 3) The application for transplantation / felling of trees shall be considered and scrutinized independently and separately by the Tree Officer (West Forest Division) under the provisions of the DPTA, 1994, the Delhi Preservation of Trees Rules, 1996, relevant guidelines, directions issued in this regard and all relevant court orders with due application of mind minimizing the number of affected trees to be transplanted / felled from within the exempted area.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

SANDEEP KUMAR, Principal Secretary (Environment & Forests)

Annexure-A

Boundary details of the area exempted U/S 29 from limitation of max 1 ha area U/S 9 (3) of Delhi Preservation of Trees Act, 1994, for Construction of Oncology Centre Building (200 Bedded) at Army Hospital (R&R) Delhi Cantt. New Delhi.



LEGEND:-

Project Area	
Coordinate No.	000
Points	
Dimension	 00.00m. 

Boundary Details of the Area Exempted U/S 29 from provision of limitation of max 1 ha area U/S 9 (3) Delhi Preservation of Trees Act, 1994, for Construction of Oncology Centre Building (200 Bedded) at Army Hospital (R&R) Delhi Cantt. New Delhi

S.No.	NORTHING	EASTING	LATITUDE	LONGITUDE
1	3164176.751	711118.2849	28° 35' 17.1764" N	77° 09' 30.0136" E
2	3164198.357	711191.361	28° 35' 15.2543" N	77° 09' 34.1785" E
3	3164214.914	711217.078	28° 35' 15.7769" N	77° 09' 35.1356" E
4	3164138.309	711370.255	28° 35' 13.1995" N	77° 09' 40.7200" E
5	3164103.146	711156.762	28° 35' 12.1828" N	77° 09' 32.8424" E
6	3164100.439	711151.774	28° 35' 12.0978" N	77° 09' 32.6571" E
7	3164098.958	711152.39	28° 35' 12.0494" N	77° 09' 32.6788" E
8	3164058.17	711074.118	28° 35' 10.7708" N	77° 09' 29.7721" E
9	3163989.515	711112.278	28° 35' 08.5190" N	77° 09' 31.1305" E
10	3163941.995	711145.317	28° 35' 06.9566" N	77° 09' 32.3144" E
11	3163862.969	711233.594	28° 35' 04.3387" N	77° 09' 35.5095" E

Coordinates have been retrieved from KML file submitted in the application by the user agency using WGS-84, UTM-43.

****Exempted area = 5.60 Hac**